

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 129/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
श्री माली समाज भवन जरीये अध्यक्ष श्री पासरमल पुत्र श्री मूलाराम जाति माली निवासी खारोडिया वेरा बालोतरा		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-


1. श्री भूपेन्द्र गहलोत,अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 05.1.2023

01. संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी माली समाज श्मसान गृह (काठवाड़ा) परिसर नगरपालिका बालोतरा के आबादी भूमि में अवस्थित है,माली समाज श्मसान गृह(काठवाड़ा) नगर पालिका बालोतरा के आबादी खसरा संख्या 609 में अवस्थित है। माली समाज द्वारा श्मसान गृह (काठवाड़ा) का उपयोग वर्ष 1970 से आदिनांक तक बिना किसी दखल हस्तक्षेप उपयोग, उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त भूखंड लूणी नदी के सीमा के भीतर नहीं है,औन न उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया है। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकन करते हुए प्रार्थी के भूखण्ड को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। जबकि विवादित भूमि नगर परिषद बालोतरा के खसरा नम्बर 609 आबादी में है। इस प्रकार प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में हो रखें गलत इन्द्राज




5.1.2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

को निरस्त करवाते हुए, विवादित भूखण्ड को आबादी भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

02. प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया।

विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश कर प्रार्थी के आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

03. विवादित भूमि की मौका एवं रेकॉर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

04. प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में ग्राम बालोतरा न.प.क्षे. की खसरा संख्या 609 की जमाबंदी प्रति मय नक्शा फोटो प्रति पेश की गई।

05. उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि सरहद मौजा बालोतरा में स्थित लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 कुल रकबा 1753.14 बीघा पर तथाकथित अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिशन संख्या 544/2020 प्रस्तुत की गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा D.B Civil INTERLOCUTORY APPLICATION NO. 18/2020 प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय की आदेश की पालना में हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, कि प्रार्थी माली समाज का श्मसान गृह परिसर नगरपालिका बालोतरा के आबादी भूमि में अवस्थित है, माली समाज श्मसान गृह (काठवाड़ा) नगर पालिका बालोतरा के आबादी खसरा संख्या 609 में अवस्थित है। माली समाज द्वारा श्मसान गृह (काठवाड़ा) का उपयोग वर्ष 1970 से आदिनांक तक बिना किसी दखल हस्तक्षेप उपयोग, उपभोग में लिया जा रहा है। माली समाज श्मसान गृह (काठवाड़ा) दाह-संस्कार के उपयोग हेतु लिया जा रहा है, जिसमें दाह-संस्कार हेतु लकड़ियां व सामान रखा जाता है। नगर परिषद बालोतरा द्वारा उक्त

भूखंड प्रार्थी को आवंटन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। उक्त

भूखंड लूणी नदी के सीमा के भीतर नहीं है, और न उक्त भूखंड के जरिये प्रार्थी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



5.1.2023

लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया है। प्रार्थी का भूखंड लूणी नदी के समीप होने के कारण राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से सीमांकन करते हुए विवादित भूखंड को गैर-मुमकिन नदी में दर्शाते हुए रैकॉर्ड में अंकन कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का भूखंड नगर परिषद बालोतरा के आबादी क्षेत्र खसरा संख्या 609 के सीमा के भीतर स्थित है। इससे स्पष्ट है, कि प्रार्थी का श्मसान गृह परिसर आबादी भूमि में निहित है, लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये सर्वे में गलत तथ्यों के आधार पर विवादित भूखंड श्मसान गृह परिसर को गै.मु.नदी में रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया गया, जो कि अंदिनाक तक रिकॉर्ड व नक्शा में विवादित भूमि का गलत अंकन इन्द्राज होता आ रहा है, जो कि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि में होने के कारण रिकॉर्ड व राजस्व नक्शा दुरुस्ती योग्य है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया था, कि प्रार्थी का परिसर आबादी भूमि में होने के कारण नगरपालिका बालोतरा में विवादित भूखंड को आबादी में होना मानते हुए पट्टा जारी किया, लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से विवादित भूमि के हितबद्ध पक्षकारान को बिना सुनवाई के अवसर दिये आबादी भूमि होने के उपरान्त भी विवादित भूमि को गै.गु. नदी में इन्द्राज कर दी थी, जो कि सरासर गलत तथ्यों के आधार पर रिकॉर्ड इन्द्राज हुआ था। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी माली समाज श्मसान गृह (काठवाडा) परिसर को आबादी भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमाया जावे।

6. इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है, कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट

वर्ष 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, प्रथम सेटलमेन्ट ~~संख्या 450~~ में जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी, जिसका रकबा राजस्व रिकॉर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया, तो नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव

क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया, जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों




21/11/2023
 उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा

के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार माली समाज श्मसान गृह (काठवाड़ा) परिसर गैर मुमकिन नदी में निर्मित किया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। विवादित भूखण्ड आबादी भूमि में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूखण्ड की रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया, कि राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लक्टा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है। जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि प्रार्थी जिस भू-भाग पर काबिज होना बता रहे हैं, गत सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नम्बर 456 गैर मुमकिन नदी है एवं वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 747 गैर मुमकिन नदी है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन-पत्र सारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड मय दस्तावेजात का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136, आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन-पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही

गई है, कि प्रार्थी माली समाज श्मसान गृह (काठवाड़ा) परिसर नगरपालिका बालोतरा की


 उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा



आबादी भूमि खसरा संख्या 609 में स्थित है,मौके की स्थिति अनुसार प्रार्थी के परिसर के आस-पास बने हुए निर्मित परिसर भी नगरपालिका की आबादी भूमि में है। लेकिन प्रार्थी माली समाज श्मसान गृह (काठवाडा) परिसर नगरपालिका की आबादी भूमि में होने के उपरांत भी सेटलमेन्ट विभाग के राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी माली समाज श्मसान गृह (काठवाडा) परिसर आबादी भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई। जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकर्ड इन्द्राज चला आ रहा है,जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी का विवादित भूखण्ड को आबादी भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। जबकि प्रार्थी जिस भू-भाग पर माली समाज श्मसान गृह (काठवाडा) परिसर होना बता रहा है,वह गत सेटलमेन्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 456 किस्म गैर मुमकिन नदी में आता है,इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि/भूखण्ड गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है,जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट सन् 1955 में हुआ था तथा द्वितीय सेटलमेन्ट भी सन् 1967 में हुआ था। तत्समय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड संधारण किया था,जो कि विवादित भूखण्ड आबादी में नहीं होकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है,कि प्रार्थी विवादित भूखण्ड की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत नहीं होता है,क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक तक रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। प्रथम सेटलमेन्ट को हुए लगभग 65 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद द्वितीय सेटलमेन्ट भी हो चुका है। इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के रेकर्ड दुरुस्ती संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई,इस बिन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी में न होकर नगरपालिका बालोतरा के आबादी खसरा नम्बर 609 में है। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किये है,कि प्रार्थी की



भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं होकर आबादी भूमि में आती है,यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन से राहत प्रदान नहीं की जा सकती है,इसके लिए दस्तावेजी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में भूप्रबंध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक/प./14/(28)(1)/भूअ.। रा.प्र./2018/5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भूप्रबंध विभाग कि संयुक्त टीम गठित कर गत भूप्रबन्ध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 456 का भाग होना बताया गया है,जो तत्समय प्रचलित भूप्रबन्ध के रैकॉर्ड के अनुसार गैर-मुमकिन नदी थी। इससे स्पष्ट साबित होता है कि प्रार्थी माली समाज श्मसान गृह (काठवाडा) परिसर गैर-मुमकिन नदी का ही भाग है। अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है,कि आवेदन-पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती योग्य हों। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन-पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।



(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.1.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा